भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1718

उत्तर देने की तारीख- 05/12/2024

जनजातीय छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति

1718 श्री राजकुमार रोत:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 'नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप' के अंतर्गत वर्ष 2013 में प्रतिवर्ष दी जाने वाली 15,400 डॉलर की अध्येतावृत्ति राशि वर्ष 2024 में भी उतनी ही है;

(ख) क्या घरेलू छात्रों को दी जाने वाली कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की राशि को वर्ष 2013 में 16000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2024 में 37000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है;

(ग) क्या वार्षिक अध्येतावृत्ति राशि में वृद्धि न किए जाने के कारण मुद्रास्फीति के कारण विदेश में पढ़ने वाले छात्र भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार विदेशों में वर्तमान जीवन स्तर को देखते हुए वार्षिक अध्येतावृत्ति राशि को वर्तमान 15,400 डॉलर से बढ़ाने का है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या को अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समान ही बढ़ाकर कम से कम 70 करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) तथा (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति क्रियान्वित कर रहा है। भुगतान की गई अध्येतावृत्ति राशि के दो मुख्य घटक हैं: शुल्क और फेलोशिप भत्ता। इस शुल्क में ट्यूशन शुल्क शामिल है, जो अध्येतावृत्ति का प्रमुख घटक है, जिसका भुगतान अन्य गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ वास्तविक के अनुसार किया जाता है, जिसे पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्र द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाना आवश्यक है।

फेलोशिप भत्ता में 8 घटक शामिल हैं, जिनमें से 3 घटक अर्थात् वार्षिक रखरखाव भत्ता ($ 15,400 / £ 9,900), वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता ($ 1532 / £ 1116) और आकस्मिक यात्रा व्यय (यूएसडी 18.70) निर्धारित घटक हैं। अन्य 5 घटक अर्थात् पॉल टैक्स, वीज़ा शुल्क, आकस्मिक यात्रा व्यय, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, हवाई यात्रा और स्थानीय यात्रा की लागत का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाता है।

चूंकि शुल्क सहित समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के प्रमुख घटकों का भुगतान वास्तविक के अनुसार किया जाता है, इसलिए मुद्रास्फीति से प्रभावित नहीं होते हैं। 2013 से 15,400 अमेरिकी डॉलर की वार्षिक रखरखाव राशि समान बनी हुई है। मंत्रालय ने वित्त चक्र (2021-26) से पहले 2019-20 में एनओएस योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया था, जिसमें छात्रवृत्ति की राशि के संबंध में छात्रों से विस्तृत प्रतिक्रिया (फीडबैक) ली गई थी। प्रतिक्रिया (फीडबैक) और विचार-विमर्श के आधार पर, वित्त चक्र 2021-26 के लिए छात्रवृत्ति की दरें तय की गईं। इसके अलावा, चूंकि छात्रवृत्ति का भुगतान डॉलर में किया जाता है और यह रुपये प्रति डॉलर की दर में बदलाव से प्रभावित नहीं होती है, जो 2013 में 56 रुपये से बढ़कर 2024 में 84 रुपये हो गई है।

(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित कर रहा है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) स्कॉलर्स को वर्तमान में 2024 में 37,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है, जो 2013 में 16,000 रुपये प्रति माह था। यह संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(घ) तथा (ङ): वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****